न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
70 / 2020 / प्रा.पत्र / 2020	22.09.2020	14.10.2021

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1—श्री हेमराज सैनी पुत्र रामस्वरूप सैनी निवासी फूट्या देवरा वार्ड नं0 19 टोडारायसिंह जिला टोंक विक्रेता मैसर्स सैनी दूध डेयरी बत्तीसी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक राज0
2—श्री सत्यनारायण बागवान पुत्र श्री प्रभूलाल प्रोपरायटर मैसर्स सैनी दूध डेयरी बत्तीसी मार्केट टोडारायसिंह जिला टोंक राज0
3— मैसर्स सैनी दूध डेयरी बत्तीसी मार्केट टोडारायसिंह जिला टोंक राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाध सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—
1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:—<u>निर्णय</u>—: **दिनांक 14.10.2021**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.07.2020 को समय 1.00 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स सैनी दूध डेयरी बत्तीसी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री हेमराज सैनी पुत्र रामस्वरूप सैनी निवासी फूट्या देवरा वार्ड नं0 19 टोडारायसिंह जिला टोंक विक्रेता मैसर्स सैनी दूध डेयरी बत्तीसी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया,श्री सत्यनारायण बागवान को उक्त फर्म का प्रोपरायटर होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम [illegible] को विक्रय हेतु दुकान मे **घी (खुला)** रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट [illegible] शंका [illegible] पर विक्रेता श्री हेमराज सैनी को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में [illegible] नमूना क्रय [illegible] हेतु नोटिस देकर नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हेमराज सैनी एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे प्लास्टिक की केन मे लगभग–5–6 किलोग्राम **घी (खुला)**रखे हुये मे से 800 ग्राम वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री हेमराज सैनी को रू0 240/–अक्षरे दौ सो चालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **घी (खुला)** 800 ग्राम को बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को साफ एंव सूखी प्लास्टिक की शिशियो मे बराबर–बराबर प्रत्येक शिशि मे 200–200 ग्राम भरकर प्रत्येक शिशि को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट कर बंद कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी. ओ.कोड एवं क्रमांक I–2521 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2521 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. हेमराज सैनी के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2020/2673 दिनांक 13.08.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1002/एक्ट/2020/1072 दिनांक 05.08.2020 अनुसार हेमराज सैनी से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **घी (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:58 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **घी (खुला)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 स्वंय ने और अप्रार्थी संख्या 1 की और से उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (खुला)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री हेमराज सैनी पुत्र रामस्वरूप सैनी निवासी फूट्या देवरा वार्ड नं0 19 टोडारायसिंह जिला टोंक विक्रेता मैसर्स सैनी दूध डेयरी बत्तीसी मार्केट टोडारायसिह जिला टोंक राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्री सत्यनारायण बागवान पुत्र श्री प्रभूलाल प्रोपरायटर मैसर्स सैनी दूध डेयरी बत्तीसी मार्केट टोडारायसिंह जिला टोंक राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती हैअभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.10.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

14-10-21

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.11.29 10:25:58 IST
Reason: SelfAttested